

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 246] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 1978/भा 1, 1900
No. 246] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 1978/BHADRA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
collation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1978

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकां० 423 (अ):—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम
12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
की अधिसूचना 11-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 5 अप्रैल, 1949 में निम्नलिखित
प्रति संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में द्वितीय परन्तुक निकाल दिया जाएगा।

[एं० 157/78-के० उ०भ०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd August, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 423(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Revenue Division) No. 11-Central Excises, dated the 5th April, 1949, namely :—

In the said notification, the second proviso shall be omitted.

[No. 157/78-CE]

सांका०नि० 424(घ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 5/66 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 15 जनवरी, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, शब्द "इक्कीस रुपये छप्यन पैसे" के स्थान पर शब्द "चार दस पचानवे पैसे" रखे जाएंगे।

[सं 158/78—के०उ०शु०]

भार०के० चन्द्र, भवर सचिव

G.S.R. 424(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 5/66-Central Excises, dated the 15th January, 1966, namely :—

In the said notification, for the words "twenty-one rupees and fifty-six paise", the words "four rupees and ninety-five paise" shall be substituted.

[No. 158/78-CE]

R. K. CHANDRA, Under Secy.